पत्रांकः—02 / सं0—10 / 2026 -1342
झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च, शिक्षा निदेशालय)
तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची—834002

प्रेषक,
सुधीर बाड़ा,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,
कुलसचिव,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।

राँची, दिनांक 02.07.2026

विषयः— बी0एड0 महाविद्यालयों को बी0एड0 पाठ्यक्रम में अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा अद्यतन परिनियम में वर्णित प्रावधान के आलोक में विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अंतर्गत संचालित अस्थायी संबद्धता प्राप्त बी0एड0 महाविद्यालयों को बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2026—2028, 2027—2029 एवं 2028—2030 के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता हैः—

| विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र0 | महाविद्यालय का नाम | शैक्षणिक सत्र | पाठ्यक्रम | अभ्युक्ति |
| 1. | डॉ0 एस0 राधाकृष्णन, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सुकरीगढ़ा, लारी, रामगढ़। | 2026—2028, 2027—2029 एवं 2028—2030 | बी0एड0 | स्वीकृत। |
| 2. | गौतम बुद्ध टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, हजारीबाग। | 2026—2028, 2027—2029 एवं 2028—2030 | बी0एड0 | स्वीकृत। |
| 3. | रामकृष्ण विवेकानन्द, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बगोदर, गिरिडीह। | 2026—2028, 2027—2029 एवं 2028—2030 | बी0एड0 | स्वीकृत। |
| 4. | लाला प्रीतम, बी0एड0 कॉलेज, जीतनी मोड, चतरा। | 2026—2028, | बी0एड0 | स्वीकृत। |

शर्तेः—

I. विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गए सुझाव एवं शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा समय सीमा के अंदर किया जाएगा।
II. महाविद्यालय पूर्व क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा लगाए गए शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
III. महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिनियम में वर्णित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
IV. जिन महाविद्यालयों को NAAC द्वारा Accreditation प्राप्त नहीं है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन दीर्घीकरण की अधिसूचना जारी होने के 06 महीने के अंदर NAAC Portal पर IIQA submit करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय के संबंधन रद्द करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
V. विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने या एन0 सी0 टी0 ई0 राज्य सरकार / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संबद्धता समाप्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
VI. विश्वविद्यालय द्वारा जिन प्रस्तावों को Syndicate के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रेषित किया गया है, उनसे संबंधित अधिसूचना के पूर्व Syndicate का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन
ह0 / —
(सुधीर बाड़ा)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

## विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

निदेशालय के उक्त पत्र में अंकित बी0एड0 क्रम संख्या–1, 2 एवं 3 में सत्र 2026–2028, 2027–2029 एवं 2028–2030 के लिए दिए गए शर्तों के अधीन अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण एंव लाला प्रीतम बी0एड0 कॉलेज, जीतनी मोड़, चतरा को बी0एड0 सत्र 2026–28 के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(I/c) कुलसचिव

ज्ञापांकः– वि0भा0वि0/स्था0/ 1460 /26 दिनांक 15.07./2026

प्रतिलिपि :–

1. कुलपति/वित्तीय सलाहकार/कुलसचिव के निजी सहायकों को कुलपति/वित्तीय सलाहकार/कुलसचिव के सूचनार्थ।
2. सचिव/प्राचार्य, संबंधित बी0एड0 महाविद्यालय के सूचनार्थ इस आग्रह के साथ की पत्र में दिए गए शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. परीक्षा नियंत्रक, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
4. सभी पदाधिकारी, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
5. नोडल पदाधिकारी, चान्सलर पोर्टल, वि0भा0वि0, हजारीबाग।
6. प्रभारी स्थापना शाखा, वि0भा0वि0, हजारीबाग।

14.07.26.
(I/c) कुलसचिव
14/7/2026